

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDIA AND THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uganda (hereinafter referred to as the "Contracting Parties")

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Uganda in the realms of art, culture, education (including academic activity in the fields of science and technology), sports, public health and mass media of information and education (including films, TV, radio and press)

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, education (including academic activity in the fields of science and technology), sports, public health and mass media in the areas of

...2...

information and education (including films, T.V. radio and press) in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- a) reciprocal visits of academics and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic and sports' associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports; and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural, sports publications and wherever possible, exchange of art specimens; and



- d) reciprocal facilities with regard to visits by archaeologists to enable them to gain experience of excavation, preservation and display of archaeological finds, and for training purposes; and also with regard to exchange of specimens or casts.

### ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities, scholarships and fellowships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research.

### ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

### ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of documentary films, radio, television and press. With this end in view, the two

Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- d) exchange of experts in the fields of mass communication and cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

...5...



ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly. Such institutes and associations shall be established in accordance with the laws, regulations and general policy of the host country, it being understood that prior clearance of the host Government would be obtained before any such institute or association is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objective of the present Agreement, a Joint Committee consisting of an equal number of representatives designated by each of the Contracting Parties shall be established. The Committee shall meet as may be mutually agreed upon

alternately in Kampala and New Delhi.

The Committee shall be responsible for advising the respective Governments in formulating concrete programmes of exchanges where possible on a biennial basis, to be carried out in the fields envisaged in the present agreement and for reviewing periodically the operation of such programmes. The Committee shall also advise the concerned Governments as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other a six months prior notice of its intention to terminate the present Agreement. Provided always that on such termination on-going commitments shall be honoured.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties have affixed their seals thereto.



DONE and signed in New Delhi this 24th day of November 1981 in duplicate in Hindi and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

*S. Kaul*

(SHEILA KAUL)  
MINISTER OF STATE FOR  
EDUCATION, CULTURE AND  
SOCIAL WELFARE

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF UGANDA

*[Signature]*

(YONĀ KANYOMOZI)  
MINISTER OF COOPERATIVES  
AND MARKETING

भारत गणराज्य की सरकार और  
उगांडा गणराज्य की सरकार के बीच  
सांस्कृतिक करार ।

- - - - -

भारत गणराज्य की सरकार और उगांडा गणराज्य की सरकार  
(इसके बाद इन्हें "संविदाकारी पक्षकार" कहा जाएगा)

घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित तथा विकसित करने की  
सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर ; और

भारत और उगांडा के बीच, कला, संस्कृति, शिक्षा (विज्ञान  
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम सहित), खेल, जन-  
स्वास्थ्य और सूचना तथा शिक्षा के जन-संचार साधनों (फिल्मों, दूरदर्शन,  
रेडियो और प्रेस सहित) के क्षेत्रों में हर सम्भव तरीके से सम्बन्धों  
की प्रोन्नत तथा विकसित करने की इच्छा से

निम्नलिखित करार सम्पन्न करने के लिए सहमत हुई हैं :

#### अनुच्छेद - 1

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा (विज्ञान और  
प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम सहित) खेल, जन-स्वास्थ्य  
और सूचना तथा शिक्षा के क्षेत्रों में जन-संचार साधनों (फिल्मों, दूरदर्शन,  
रेडियो और प्रेस सहित) के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनाएंगे तथा  
प्रोत्साहित करेंगे ताकि दोनों देश अपनी-अपनी संस्कृति और गतिविधियों  
की बेहतर जानकारी की दिशा में योग दे सकें ।

#### अनुच्छेद - 2

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को सुकर बनाएंगे तथा  
प्रोत्साहित करेंगे :

- (क) व्याख्यान देने, अध्ययन दौरों तथा विशेष पाठ्यक्रम आयोजित  
करने के लिए शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे ;



- (अ) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक और खेल संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरें तथा कांग्रेसों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना ;
- (ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलों के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान, और पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल प्रकाशनों का आदान-प्रदान तथा जहाँ कहीं संभव हो कला नमूनों का आदान-प्रदान ; और
- (घ) पुरातत्वविदों के दौरों के लिए पारस्परिक सुविधाएँ ताकि वे खुदाई कार्य और परिरक्षण तथा पुरातत्वीय खोजों के प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकें तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों और साथ ही नमूनों तथा दलवाई मूर्तियों के आदान-प्रदान के लिए भी पारस्परिक सुविधाएँ प्रदान करना ।

अनुच्छेद - 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं में अध्ययन करने वाले दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कर्मिकों की सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ और शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार उन शर्तों की जाँच करने का वचन देता है जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदत्त डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और विश्वविद्यालय डिग्रियों को अपनी शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जा सके ।

अनुच्छेद - 5

---

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, वृत्त-चित्रों, रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इस उद्देश्य की ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद - 6

---

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखितों की सुकर बनाएंगी तथा प्रोत्साहित करेंगी :

- (क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- (ग) फिल्मों, वृत्त-चित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम रिकार्डिंग तथा डिस्कों और टेप रिकार्डों का आदान-प्रदान ; और
- (घ) जन-संचार और चलचित्र-कला के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना।

अनुच्छेद - 7

---

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौरो को प्रोत्साहित करेंगी और लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उनके प्रवास और आवागमन की सुकर बनाएंगी।

अनुच्छेद - 8

---

संविदाकारी पक्षकार, जहाँ तक संभव होगा, यह सुनिश्चित करेंगी कि अपने-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों,



विशेषकर इतिहास और भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में तथ्यों का कोई गलत अथवा मिथ्या कर्तन न दिया गया हो ।

#### अनुच्छेद - 9

प्रत्येक सविदाकारी पक्षकार, अपने देश में, दूसरे पक्षकार द्वारा अथवा संयुक्त रूप से सविदाकारी पक्षकारों द्वारा, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संघों की स्थापना का स्वागत करेगा । इस प्रकार के संस्थान और संघ मेजबान देश के कानूनों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार स्थापित किए जाएंगे, यह समझ लिया गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई ऐसा संस्थान अथवा संघ स्थापित करने से पहले मेजबान सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

#### अनुच्छेद - 10

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक पक्षकार द्वारा बराबर संख्या में नामजद प्रतिनिधियों को एक संयुक्त समिति स्थापित की जाएगी । पारस्परिक रूप से हुई सहमति के अनुसार समिति की बैठक बारी-बारी से नई दिल्ली और कम्पाला में होगी ।

समिति, वर्तमान करार में परिकल्पित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए द्विवर्षी आधार पर जहाँ भी संभव हो ठीस आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करने हेतु संबंधित सरकारों की सलाह देने तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए, जिम्मेदार होगी । समिति, सम्बन्धित सरकारों को उन तरीकों का भी सुझाव देगी जिनसे करार के कार्यक्रमों को सुधारा जा सके ।

अनुच्छेद - 11

वर्तमान करार अनुसमर्थन-लिखितों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा। यह पाँच वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा तथा उसके बाद आगे की प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधियों के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा जब तक कि कोई एक पक्षकार वर्तमान करार को अवसित करने के अपने इरादे की कृह महीने की पूर्व सूचना दूसरे पक्षकार की न दे। किन्तु इस प्रकार के अवसान पर चालू वचन-बद्धताओं को पूरा किया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी मुहरें लगाई हैं।

नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 के 24 वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे किन्तु सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से



( शीला कौल )

शिक्षा, संस्कृति और

समाज कल्याण राज्य मंत्री

उगांडा गणराज्य की  
सरकार की ओर से



( योना कान्यामुकोनी )

सहकारी और विपणन मंत्री